मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मार्च, 2023 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 14 मार्च, 2023 (फाल्गुन 23, 1944)

समय 11.00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर.

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) **श्री कमल पटेल, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री,** जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 की धारा 40 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) की वैधानिक आडिट रिपोर्ट वर्ष 2019-2020 एवं 2020-2021 (उप संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, जबलपुर (म.प्र.) द्वारा प्रेषित प्रमुख आपत्तियां, स्पष्टीकरण हेतु उत्तर एवं प्रमण्डल की टिप्पणियां) पटल पर रखेंगे.

(2) **श्री गोविन्द सिंह राजपूत, परिवहन मंत्री,** मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 की धारा 21 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार निम्नलिखित अधिसूचनाएं :-

(क) क्रमांक एफ 01-09/2021/आठ, दिनांक 24.02.2021,
(ख) क्रमांक एफ 19-76/2019/आठ, दिनांक 03.03.2021,
(ग) क्रमांक एफ 22-12/2015/आठ, दिनांक 28.04.2021,
(घ) क्रमांक एफ 22-142/2004/आठ,दिनांक 20.04.2021,
(ङ) क्रमांक एफ 22-112/ आठ/2020,दिनांक 11.01.2022,
(च) क्रमांक एफ 22-47/2021/आठ,दिनांक 11.01.2022,
(छ) क्रमांक एफ 22-16/2022/आठ,दिनांक 16.06.2022,
(ज) क्रमांक एफ 22-124/2019/आठ,दिनांक 05.08.2022,
(झ) क्रमांक एफ 22-57/2019/आठ,दिनांक 21.08.2022,
(ञ) क्रमांक एफ 22-23/2022/आठ,दिनांक 24.08.2022,
(ट) क्रमांक एफ 3/3/4/0001/2022/आठ,दिनांक 08.09.2022,
(ठ) क्रमांक एफ 22-12/2015/आठ,दिनांक 21.09.2022,
(ड) क्रमांक एफ 22-23/2022/आठ,दिनांक 30.09.2022,
(ढ) क्रमांक 1867/2018/2021/आठ,दिनांक 30.09.2022,एवं
(ण) क्रमांक एफ 19-55/2019/आठ,दिनांक 09.11.2022,

पटल पर रखेंगे.

(3) **श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह, खनिज साधन मंत्री –**

(क) खनिज प्रतिष्ठान नियम, 2016 के नियम 18 (3) की अपेक्षानुसार जिला खनिज प्रतिष्ठान जबलपुर के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-2021 एवं 2021-2022 तथा जिला नरसिंहपुर, अनूपपुर, बैतूल, कटनी, छतरपुर एवं अलीराजपुर के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022, तथा

(ख) मध्यप्रदेश असंगठित कर्मकार कल्याण अधिनियम, 2003 (क्रमांक 9 सन् 2004) की धारा 12 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मंडल का वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023 पटल पर रखेंगे.

(4) **श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री,** कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर का 20 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022 पटल पर रखेंगे.

(5) **डॉ.मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री -**

(क) मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार -

(i) अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) का 54 वां प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022, एवं

(ii) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022,

(ख) महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 (क्रमांक 15 सन् 2008) की धारा 43 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन (मध्यप्रदेश) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-2021, तथा

(ग) पंडित एस.एन.शुक्ला विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 की धारा 34 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार पंडित एस.एन.शुक्ला विश्वविद्यालय, शहडोल (म.प्र.) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022 पटल पर रखेंगे.

(6) **श्री हरदीप सिंह डंग, पर्यावरण मंत्री,** जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 40 की उपधारा (7) एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 35 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022 पटल पर रखेंगे.

(7) **श्री बृजेन्द्र सिंह यादव, राज्यमंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी,** कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित का आठवाँ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-2020 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण.

(1) **श्री पी.सी. शर्मा, सदस्य,** भोपाल के दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 30 चूना भट्टी क्षेत्र की कालोनियों में नल कनेक्शन देने एवं शिवाजी नगर क्षेत्र में पेयजल प्रदाय के समय में परिवर्तन किये जाने की ओर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) **श्री आशीष गोविन्द शर्मा, सदस्य,** देवास जिले के खातेगांव क्षेत्र में कपिलधारा कुंआ योजना के तहत हितग्राहियों को भुगतान न होने की ओर पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति.

श्री जालम सिंह पटेल, सभापति, शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का षष्टम्, सप्तम् एवं अष्टम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

5. आवेदनों की प्रस्तुति.

(1) **श्री पहाड़ सिंह कन्नौजे, सदस्य,** देवास जिले के ग्राम भण्डरिया से टाण्डी ब्लाक एवं निमासा से इन्दिरा नगर तक सड़क का निर्माण कराये जाने,

(2) **श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी, सदस्य,** दमोह जिले के जबेरा अंतर्गत ग्राम नोहटा में सामुदायिक भवन निर्माण कराये जाने,

(3) **श्री संजय शर्मा, सदस्य,** नरसिंहपुर जिले के तेन्दूखेड़ा अंतर्गत ग्राम ढांड़िया में अटल ज्योति के ट्रांसफार्मर का स्थान परिवर्तित करने,

(4) **श्रीमती सुनीता पटैल, सदस्य,** नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा अंतर्गत बैरागढ़ से पौड़ी पहुंच मार्ग का निर्माण कराये जाने,

(5) **श्री भूपेन्द्र मरावी, सदस्य,** डिण्डौरी जिले के मेहदवानी ब्लाक के गायघाट नाले पर पुलिया का निर्माण कराये जाने,

(6) **श्री पुरूषोत्तमलाल तंतुवाय, सदस्य,** दमोह जिले के विकासखण्ड पटेरा अंतर्गत ग्राम बेलखेड़ी में जलाशय बनाये जाने,

(7) **श्री संजय यादव, सदस्य,** जबलपुर जिले के बरगी अंतर्गत ग्राम पंचायत देवरी नवीन में बिजली समस्या का निराकरण कराये जाने,

(8) **श्री प्रहलाद लोधी, सदस्य,** पन्ना जिले के शाहनगर महाविद्यालय में भवन एवं बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कराये जाने,

(9) **श्री अनिरुद्ध 'माधव' मारू, सदस्य,** नीमच जिले की ग्राम पंचायत कंजार्डा को नगर परिषद बनाये जाने,

(10) **श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य,** नरसिंहपुर जिले के ग्राम झामर में शासकीय हायर सेकेण्ड्री स्कूल में नवीन भवन निर्माण कराये जाने,

(11) **श्री प्रणय प्रभात पांडे, सदस्य,** कटनी जिले के ग्राम छोटा बरेहटा से रीठी मोड़ तक पक्का निर्माण कराये जाने,

(12) **श्री मुकेश रावत (पटेल), सदस्य,** अलीराजपुर जिले के सोण्डवा अंतर्गत ग्राम पंचायत कंथारी को राजीव गांधी जलग्रहण योजना में जोड़े जाने,

(13) **डॉ. सतीश सिकरवार, सदस्य,** ग्वालियर शहर के वार्ड क्र. 22 नेहरू कालोनी झवर स्टेट से शमशान तक के नाले का निर्माण एवं जीवाजी नगर के नाले को सुधार कर सीधा कराये जाने,

(14) **डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सदस्य,** रतलाम जिले के ग्राम काबुलखेड़ी फंटे से उपमंडी सुखेड़ा पहुंच मार्ग एवं अन्य ग्रामों के मार्ग की स्वीकृति प्रदान करने,

(15) **इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य,** सागर जिले के नगरपालिका परिषद् मकरोनिया अंतर्गत आधुनिक जिम के भवन के निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने,

(16) **श्री राज्यवर्धन सिंह, सदस्य,** राजगढ़ जिले के ग्राम पीपल्या रसोड़ा से आंकखेड़ी एवं रूपारेल चापाखेड़ा होते हुए मंडावर तक नवीन सड़क का निर्माण कराये जाने,

(17) **श्री सूबेदार सिंह सिकरवार 'रजौधा', सदस्य,** मुरैना जिले के जौरा अंतर्गत ग्राम पंचायत कोल्हूडाड़ा में नवीन शासकीय माध्यमिक विद्यालय खोले जाने,

(18) **श्री कुंवरजी कोठार, सदस्य,** राजगढ़ जिले के कुण्डलिया डेम से प्रभावित ग्राम खेरखेड़ी को राजस्व रिकार्ड में आबादी स्थल घोषित करने,

(19) **श्री शैलेन्द्र जैन, सदस्य,** सागर शहर के सूबेदार वार्ड में दुबे तला के पास नाली निर्माण कराये जाने,

(20) **श्री आरिफ मसूद, सदस्य,** भोपाल शहर के वार्ड क्र.19 स्थित बाल बिहार खेल मैदान को संरक्षित करने हेतु बाउन्ड्रीवॉल का निर्माण कराये जाने,

(21) **श्री घनश्याम सिंह, सदस्य,** दतिया जिले की सिंध नदी में बने पुराने पुल पर रेलिंग लगाये जाने,

(22) **श्री प्रागीलाल जाटव, सदस्य,** शिवपुरी जिले की सिंध नदी पर ग्राम दोनी हथेढा के बीच रपटा निर्माण कराये जाने,

(23) **श्री मनोज चावला, सदस्य,** रतलाम जिले के आलोट अंतर्गत मजरा टोला सुखाखेड़ा, तारागढ़, अलीगढ़, सोनगरी को राजस्व ग्राम बनाये जाने,

(24) **श्री रामचंद्र दांगी, सदस्य,** राजगढ़ जिले के ब्यावरा अंतर्गत शंकरपुरा से दण्ड एवं हत्याखो आगर होते हुए लखनवास रोड तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(25) **श्री तरबर सिंह, सदस्य,** सागर जिले के ग्राम पुरा शाहगढ़ से पडरई, नानकपुर एवं छोटी कानीखेड़ी तक पक्की रोड निर्माण कराये जाने,

(26) **श्री फुन्देलाल सिंह मार्को, सदस्य,** अनूपपुर जिले के करपा मुख्य मार्ग से कन्या/बालक छात्रावास होते हुए कोनहाटोला से नगुलीदादर तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(27) **सुश्री चन्द्रभागा किराड़े, सदस्य,** बड़वानी जिले के पानसेमल अंतर्गत ग्राम राखी खुर्द के माल फल्या होते हुए धावड़ी तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(28) **श्री प्रियव्रत सिंह, सदस्य,** राजगढ़ जिले के अंतर्गत लोडिंग वाहनों में रेडियम लगाये जाने को अनिवार्य किये जाने,

(29) **श्री महेश राय, सदस्य,** सागर जिले के बीना अंतर्गत खिमलासा को नवीन तहसील बनाये जाने,

(30) **श्री सुरेश राजे, सदस्य,** ग्वालियर जिले के डबरा अंतर्गत ग्राम सकतपुरा के जाटव मोहल्ला में सामुदायिक भवन निर्माण कराये जाने,

(31) **श्री दिलीप सिंह परिहार, सदस्य,** नीमच जिले के ग्राम चड़ोली को सरवानिया महाराज-बराड़ा को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क मार्ग से जोड़ने के लिये पुलिया एवं मार्ग का निर्माण कराये जाने,

(32) **श्री उमाकांत शर्मा, सदस्य,** विदिशा जिले के नरखेड़ा जागीर मार्ग के ग्राम मूडराघाट में सी.सी. रोड का निर्माण कराये जाने,

(33) **श्री शिवनारायण सिंह, सदस्य,** उमरिया जिले के ज.प. करकेली अंतर्गत बसे हुए ग्रामों में कोहका जलाशय का पानी पहुँचाये जाने,

(34) **श्री रवि रमेशचंद्र जोशी, सदस्य,** खरगोन जिले के छोट्या से कमोदवाडा तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(35) **श्री राकेश मावई, सदस्य,** मुरैना जिले के पारौली-भूराडाड़े रोड से मुंशी का पुरा होते हुए खरगपुर-खिरावली तक रोड निर्माण कराये जाने,

(36) **श्री मुरली मोरवाल, सदस्य,** उज्जैन जिले के बड़नगर अंतर्गत ग्राम लखेसरा में पंचायत भवन से शमशान तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(37) **श्री रामपाल सिंह, सदस्य,** रायसेन जिले के गैरतगंज-सिलवानी-उदयपुरा-गाडरवारा मार्ग पर 'ब्लैक स्पाट' सुधरवाये जाने,

(38) **डॉ. हिरालाल अलावा, सदस्य,** धार जिले के ग्राम जमरापुरा में आदिवासी मांगलिक भवन निर्माण कराये जाने,

(39) **श्री के.पी. त्रिपाठी, सदस्य,** रीवा जिले के ग्राम दुलहरा के शासकीय हाई स्कूल को सी.एम. राईज स्कूल में उन्नयन किये जाने,

(40) **श्री राकेश गिरि, सदस्य,** टीकमगढ़ जिले के बहादुरगढ़ तालाब की नहर को पक्का कर नई उप नहर बनाये जाने,

(41) **श्री हर्ष विजय गेहलोत, सदस्य,** रतलाम जिले के ग्राम करिया पहाडीबंगला रोड से डोकरियाकुण्ड ज.प. सैलाना तक सड़क निर्माण कराये जाने,

के संबंध में आवेदन प्रस्तुत करेंगे.

6. राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सदस्य द्वारा दिनांक 27 फरवरी, 2023 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा का पुनर्ग्रहण ..... (क्रमशः)

"राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिए मध्यप्रदेश विधान सभा के इस सत्र में समवेत् सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं.".

7. वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा.

8. विशेषाधिकार समिति के प्रथम प्रतिवेदन पर विचार एवं स्वीकृति.

डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सभापति, विशेषाधिकार समिति, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -

“यह सदन दिनांक 21 दिसम्बर, 2022 को प्रस्तुत विशेषाधिकार समिति के प्रथम प्रतिवेदन पर विचार कर उसे स्वीकार करे.”.

9. वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों पर मतदान.

निर्धारित समय			
1 घण्टा 30 मि.	(1)	मांग संख्या – 1	सामान्य प्रशासन
		मांग संख्या – 2	विमानन
		मांग संख्या – 20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी
		मांग संख्या – 32	जनसम्पर्क
		मांग संख्या – 41	प्रवासी भारतीय
		मांग संख्या – 45	लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन
		मांग संख्या – 48	नर्मदा घाटी विकास
		मांग संख्या – 55	महिला एवं बाल विकास
		मांग संख्या – 57	आनंद.
1 घण्टा 30 मि.	(2)	मांग संख्या – 3	गृह
		मांग संख्या – 5	जेल
		मांग संख्या – 28	राज्य विधान मण्डल
		मांग संख्या – 29	विधि और विधायी कार्य.
1 घण्टा 30 मि.	(3)	मांग संख्या – 24	लोक निर्माण कार्य
		मांग संख्या – 56	कुटीर एवं ग्रामोद्योग.
1 घण्टा	(4)	मांग संख्या – 16	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास
		मांग संख्या – 23	जल संसाधन.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 13 मार्च, 2023